

कार्यालय जिला पंचायत, खीरी।

पत्रांक 25 / पौ०लि० / जि०पं० / 2019-20

दिनांक 22 जून, 2019


कुटेशन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, खीरी द्वारा संचालित कांजी हाउस/अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल (मियांपुर, लल्हौआ, औरंगाबाद, सिसैयाकला, कस्ता, अवगांवा, मझिगई, नीमगांव, कुकरा, बिजुआ, सलेमपुर, अमृतागंज, बड़ागांव, बालूडीहा, मितौली, दौलतापुर, खैरीगढ व अलीगंज) के वर्ष 2019 -20 में संचालन हेतु निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति के कुटेशन दिनांक 29.06.2019 की सांय 5.00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत, खीरी में आमंत्रित किये जाते हैं। आपूर्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति प्रति कुन्तल की दरें अंकित करते हुए अपना कुटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्रम सं०	सामग्री	मात्रा	आपूर्ति
1	भूसा	आवश्यकतानुसार	31 मार्च, 2020 तक
2	हरा चारा (समयानुसार फसल पर आधारित वरसीम, मक्का, ज्वार, चरी आदि)	"	"
3	हरी घास	"	"
4	गन्ना (अंगोले के रूप में)	"	"

आपूर्ति की आवश्यक शर्तें:

- 1-सामग्री आपूर्ति की अवधि कुटेशन स्वीकृति के दिनांक से 31 मार्च, 2020 तक होगी।
- 2-कुटेशन के साथ रूपया अंकन 10,000/- (दस हजार) की एफ०डी०आर० संलग्न करनी होगी। जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, खीरी के पदनाम से बंधक होगी। कुटेशन स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय जिला पंचायत, खीरी द्वारा जारी आपूर्ति आदेश के अनुसार कांजी हाउस/आस्थायी गौवंश आश्रय स्थल पर करनी होगी।
- 3-सक्षम अधिकारी बिना कारण बताये कुटेशन को निरस्त कर सकता है।
- 4-कुटेशन स्वीकृति होने की दशा में आपूर्ति कर्ता को जिला पंचायत के पक्ष में अनुबन्ध करना होगा। समय-समय पर प्राप्त तद्विषयक शासनादेशों का पालन करना होगा। अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर कुटेशन निरस्त कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण दायित्व स्वयं आपूर्ति कर्ता का होगा तथा कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।


अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, खीरी।